

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Gurugram Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0051

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
29/12/2025 16:30 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Monday Date from (दिनांक से): 29/12/2025 Date To (दिनांक तक): 29/12/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar 5 Time From (समय से): 13:45 hrs Time To (समय तक): 13:45 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 29/12/2025 Time (समय): 16:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 019 Date and Time (दिनांक और समय): 29/12/2025 16:08 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 60 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): जिला नुहँ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): नियामत

(b) Father's Name (पिताका नाम): ईसमाईल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 01/01/1987 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) ID No. (यूआईडी सं.):

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव मुढेता थाना पिनंगवा नुह, NUH, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव मुढेता थाना पिनंगवा नुह, NUH, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9588108022

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	उप निरीक्षक मुकेश फोगाट			1. सी आई ए जिला नुह I, NUH, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबंधक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम, विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि यह शिकायत श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के कार्यालय के कमांक 11889 / शिकायत/318/गुरुग्राम/2025 दिनांक 25.06.2025 व पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के कार्यालय के डायरी कमांक 2722 दिनांक 01.07.2025 शिकायत सं० 50/ पंचकूला दिनांक 01.07.2025 के अनुसार थाना रा०स० एवं भ०नि०ब्यूरो गुरुग्राम में प्राप्त हुई जिसका मजबूत निम्न है, सेवा में ADGP साहब जी

ACB (HQ) हरियाणा, विषय-सी आई ए टीम को रिश्त देने से मना किया तो मिली फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी प्रार्थना पत्र हेतु। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह कि मैं नियामत पुत्र इसमाईल गांव मुंडेता थाना पिनंगवा जिला नूह मेवात का स्थाई निवासी हूँ। उपरोक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि मैंने सी आई ए टीम की दो शिकायत दी थी। जिनमें सी आई ए टीम खुलेआम रिश्त की डिमांड करती है, लेकिन रंगेहाथ गिरफ्तार से पहले सी आई ए टीम को किसी से विजिलेंस शिकायत का पता चल जाता है और रंगे हाथ गिरफ्तार नहीं हो पाए। रिश्त खोर पुलिस अधिकारी उसी दिन से यह मेरा पीछा कर रहे हैं। SI Mukesh Phogaat, ASI Tek Chand, Driver Mahender की मेरे पास रिकार्डिंग सबूत हैं। जिसमें यह रिश्त की डिमांड व मुझे धमकी दे रहे हैं। फिर इसी रंजिश को लेकर सी आई ए टीम नूह मेरा पीछा कर रही है और मुझे फर्जी मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रही है। मुझे अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। मेरे ऊपर कोई भी काईम रिकार्ड नहीं और मुझे झूठे केस में गिरफ्तार करने के लिए सी आई ए टीम काफी प्रयास कर रही है। साहब निवेदन यह है कि उपरोक्त आरोपीयान पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इनकी रिश्तखोर पुलिस अधिकारियों गिरफ्तार करवाए जाए और मेरी शिकायत विजिलेंस के उच्च अधिकारी आदेश दिए जाए। साहब से निवेदन यह कि इन रिश्तखोर पुलिस अधिकारियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आपकी अति कृप्या होगी जी। धन्यवाद सर, नाम नियामत पुत्र इसमाईल गांव मुंडेता थाना पिनंगवा जिला नूह। फोन नम्बर 9588108022

अतः शिकायत उपरोक्त के सत्यापन के दौरान पीडित आजाद पुत्र कमरुद्दीन निवासी गांव खेडला थाना सदर पुन्हाना जिला नूह के कथन अंकित किए गए जिसमें पीडित ने ब्यान किया है कि उसे उप नि० मुकेश फोगाट सी०आई०ए० स्टाफ नूह व उसकी टीम जिनमें से स०उ०नि० टेकचंद को पहचानने बारे तथा उनके द्वारा दिनांक 31.05.2025 को सुबह उसके घर गांव खेडला थाना सदर पुन्हाना जिला नूह से उठाकर सी०आई०नूह ले जाया गया तथा उसी दिन (दिनांक 31.05.2025) को शाम को उसे छोड़ने की एवज में पीडित के रिश्तेदार /परिवार वालों से 5,00,000/- ₹० रिश्त की मांग सी०आई०ए० नूह परिसर में उप नि० मुकेश द्वारा की गई जिसमें से 2,00,000/-₹० देने की बात तय हुई और दिनांक 31.05.25 को ही सी०आई०ए० परिसर नूह में 1,60,000/-₹० उप नि० मुकेश फोगाट एवं स०उ०नि० टेकचंद को पीडित छोड़ने की एवज में दिए तथा बकाया 40,000/-₹० एक / दो दिन बाद देने का वायदा किया। तत्पश्चात उप नि० मुकेश फोगाट द्वारा शिकायत कर्ता नियामत से धमकाकर तथा दबाव देकर 40,000/-₹० बकाया की मांग की।

शिकायत उपरोक्त में उप नि० मुकेश फोगाट व स०उ०नि० टेकचंद सी०आई०ए० स्टाफ नूह के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप व शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई पेन ड्राईव जिसमें शिकायतकर्ता उपरोक्त व दोनों कर्मचारियों की वार्तालाप हैं जिनमें उप नि० मुकेश फोगाट व शिकायतकर्ता नियामत की वार्तालाप की ट्रांसक्रिप्ट के विवरण से उप नि० मुकेश फोगाट के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए हैं। उक्त प्रकरण में आरोपी उप निरीक्षक मुकेश फोगाट का कृत्य Ex-Facie Criminal Nature का है जिसके लिये मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 4/2/2021-1 VII दिनांक 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशों के तहत 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण में अभी तक स०उ०नि० टेकचंद व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कोई स्पष्ट साक्ष्य सामने नहीं आए है यदि अनुसंधान के दौरान कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः उपरोक्त शिकायत व ट्रांसक्रिप्ट व पीडित आजाद के कथन के अवलोकन से उप निरीक्षक मुकेश फोगाट के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम की धारा 7 तथा 308(2) बी०एन०एस० 2023 का घटित होना पाया जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए ड्राफ्ट तहरीर कार्यालय श्रीमान पुलिस निदेशक राज्य सरकार एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला हरियाणा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7075/ए०सी०बी०/ गुरुग्राम दिनांक 15.12.2025 के माध्यम से भेजी गई थी जो बाद अनुमोदन कार्यालय श्रीमान पुलिस निदेशक राज्य सरकार एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला, हरियाणा के पत्र क्रमांक 25748/शिकायत/318/ गुरुग्राम/2025 दिनांक 23.12.25 के अनुसार इस कार्यालय में प्राप्त हुई जो इस कार्यालय के डायरी क्रमांक 5134 दिनांक 24.12.25 के अनुसार मेरे नाम मार्क होने उपरांत मन निरीक्षक को प्राप्त हुई। जो उपरोक्त शिकायत व ट्रांसक्रिप्ट व पीडित आजाद के कथन के अवलोकन से उप निरीक्षक मुकेश फोगाट के विरुद्ध भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम की धारा 7 तथा 308(2) बी०एन०एस० 2023 का घटित होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराए कायमी अभियोग बदस्त ई०एच०सी० रविंद्र कुमार नं० 1270/गुरुग्राम के थाना भेजी जा रही है अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे तथा

अभियोग मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधानकर्ता के पास भिजवाई जावे । अज-कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केंद्र नूंह निरीक्षक जाकिर हुसैन थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम, दिनांक 29.12.25, समय 01.45 पी०एम० अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मैजिस्ट्रेट साहब नुहँ भेजा जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले ई०एच०सी० रविंद्र कुमार नं० 1270/गुरुग्राम के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु नि० पुनम के पास भेजी जा रही है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): POONAM Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 821GGN to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

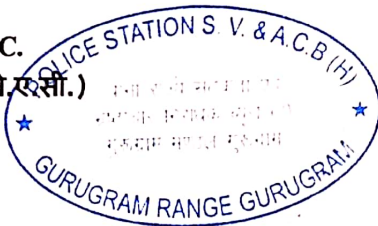
(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)



Madan K

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal Madan Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94 175/4600

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.